संख्या– 1145 / XVII (1)-3 / 2005–07(36) / 2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–3. देहरादून, 11 अगस्त 2005

विषय : उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के संरचनात्मक ढ़ांचे के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या–1145 / XVII (1)-3 / 2005–07(36) / 2004, दिनांक 25 जुलाई 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश दिनांक 25 जुलाई 2005 द्वारा गठित उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के मुख्यालय के संरचनात्मक ढ़ांचे को निम्नानुसार संशोधित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. महाप्रबन्धक पद पर श्रेष्ठता एवं ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारियों / जिला प्रोबेशन अधिकारियों / अपर जिला विकास अधिकारियों तथा उप–महाप्रबन्धक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम में से चयन कर प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
2. उप महाप्रबन्धक पद पर श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से समाज कल्याण विभाग में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारियों / उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के सहायक प्रबन्धकों अथवा इस स्तर से उच्च वेतनमान पर कार्यरत पदधारकों में से चयन कर प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
3. लेखाकार पद पर श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से समाज कल्याण विभाग अथवा उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम में समकक्ष अथवा उससे एक स्तर नीचे के पद पर कार्यरत पदधारकों में से चयन कर प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
4. आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाएगी। सीधी भर्ती से नियुक्ति की दशा में संविदा के आधार पर की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 वर्ष होगी, परन्तु एक समय पर 3 वर्ष से अनाधिक अवधि की संविदा ही की जाएगी।

5. वरिष्ठ लिपिक का पद कम से कम 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके समाज कल्याण विभाग के शासकीय अधिष्ठान अथवा उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के कनिष्ठ लिपिकों में से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरा जाएगा।

6. कनिष्ट लिपिक के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा निगम के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियमानुसार पदोन्नति से होगी। सीधी भर्ती से नियुक्ति की दशा में संविदा के आधार पर की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 वर्ष होगी, परन्तु एक समय पर 3 वर्ष से अनधिक अवधि की संविदा ही की जाएगी। संविदा पर तैनात कर्मचारी अर्हताएं पूर्ण करने पर कनिष्ठ लिपिक की सीधी भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।

7. पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति होने के लिए यह शर्त होगी कि पदोन्नति चाहने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न केवल कनिष्ट लिपिक पद के लिए निश्चित सम्पूर्ण अर्हताएं रखता हो बल्कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो। संविदा पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिक भी पदोन्नति हेतु पात्र होंगे परन्तु कनिष्ट लिपिक के रूप में उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर ही होगी जिसकी अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी परन्तु एक समय में 3 वर्ष से अनाधिक अवधि की संविदा की जाएगी। संविदा की अधिकतम सीमा की गणना पदोन्नति उपरान्त कनिष्ट लिपिक के पद पर की गई सेवाओं से की जाएगी अर्थात निम्न पद पर की गई संविदा सेवा को जोड़ा नहीं जाएगा।

8. कनिष्ट लिपिक के पद पर श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से समाज कल्याण विभाग में वेतनमान रूपये 3,050–4,590 में कार्यरत कार्मिकों में से चयन कर प्रतिनियुक्ति भी की जा सकेगी। प्रबन्ध निदेशक द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि किसी विशिष्ट नियुक्ति हेतु तीनों विधियों में से एक विधि का चुनाव किया जाए।

9. उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं से ही सम्बन्धित बजट हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की आहरण–वितरण अधिकारी होंगे।

10. उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के जनपद स्तर पर क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन जिला प्रबन्धक होंगे जो जनपद स्तर पर निगम द्वारा संचालित सभी योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु उत्तरदायी होंगे । बैंक से

निगम के लेन–देन के प्रत्येक मामलें में जिला प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। इस हेतु दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

1. उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम अधिष्ठान के जनपद स्तरीय कार्मिकों के द्वारा उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

12. उक्त शासनादेश दिनांक 25 जुलाई 2005 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या– 1145(1)/XVII(1)-3/2005–07(36)/2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. स्टाफ आफिसर–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, देहरादून।
13. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तरांचल अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, उत्तरांचल।
14. वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।